



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032023-244192  
CG-DL-E-07032023-244192

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]  
No. 132]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2023/फाल्गुन 16, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2023/PHALGUNA 16, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023

सा.का.नि. 171(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 57 की उप-धारा 3 के साथ पठित धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (य ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2014 का उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में रजिस्ट्रार पद पर भर्ती की प्रक्रिया के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (रजिस्ट्रार) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है:

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता: वह व्यक्ति –**

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रजिस्ट्रार	1* (2022) * कार्यभार के आधार पर विभिन्नता के अध्यक्षीन।	समूह 'क'	स्तर 14: (रुपए 144200-218200)	लागू नहीं।	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं प्रोन्नत होने की स्थिति में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	मिश्रित विधि द्वारा (प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति/जांच समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति। -</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अधिकारी; -</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर -13ए (रुपये 131100-216600) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा के साथ; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर -13 (रुपये 123100-215900) या समकक्ष में नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन साल की सेवा देने के साथ; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले, अर्थात्: -</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री, और</p> <p>(ii) समूह 'क' पद पर पंद्रह वर्ष का कार्य अनुभव -</p> <p>(क) किसी न्यायालय या अधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण में; या</p> <p>(ख) कार्मिक और प्रशासनिक मामलों में अनुभव और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नियमों, विनियमों, निर्देशों की व्याख्या करने का अनुभव।</p> <p>श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर-13 ( रुपये 123100-215900) में विभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार को भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा तथा यदि उसका चयन हो जाता है तो पद को पदोन्नति के द्वारा भरा गया समझा जायेगा।।</p> <p>टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए</p>	<p>खोज-सह-चयन समिति (उम्मीदवार के चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उपभोक्ता मामले विभाग में भारत सरकार के सचिव - अध्यक्ष;</li> <li>2. उपभोक्ता मामले विभाग में भारत सरकार के विशेष सचिव या अपर सचिव - सदस्य;</li> <li>3. उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में भारत सरकार के विशेष सचिव या अतिरिक्त अपर -सदस्य;</li> <li>4. विधि कार्य विभाग में भारत सरकार के विशेष सचिव या अपर सचिव - सदस्य; और</li> <li>5. विधि कार्य विभाग द्वारा नामित, विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य।</li> </ol>	<p>लागू नहीं।</p>

अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. जे-1/3/2021-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2023

**G.S.R. 171(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (zb) of sub-section (2) of section 101 read with sub-section (3) of the section 57 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) and in supersession of the National Consumer Disputes Redressal Commission (Registrar) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Rules for regulating the method of recruitment to the post of Registrar in the National Consumer Disputes Redressal Commission, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Consumer Disputes Redressal Commission (Registrar) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age - limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age - limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-Selection Post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Registrar</b>	1* (2022) *Subject to variation dependent	Group 'A'.	Level 14: (Rs 144200- 218200)	Not applicable.	Not applicable.

	on workload.				
--	-----------------	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Composite Method (Deputation/Promotion)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion/ Screening Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Deputation/Promotion. –</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government or autonomous or statutory organizations or Supreme Court or High Courts or public sector undertakings, -</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-13A(Rs.131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-13(Rs. 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience, namely:-</p> <p>(i) Degree in Law from a recognized University, and</p> <p>(ii) fifteen years' work experience in a Group A post –</p> <p>(A) in a Court or Tribunal or</p>	<p>Search-cum-Selection Committee(for considering selection of a candidate) consisting of:</p> <p>1. Secretary to the Government of India in the Department of Consumer Affairs - Chairperson;</p> <p>2. Special Secretary or Additional Secretary to the Government of India in the Department of Consumer Affairs - Member;</p> <p>3. Special Secretary or Additional Secretary to the Government of India in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade - Member;</p> <p>4. Special Secretary or Additional Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs – Member; and</p> <p>5. One expert having expertise in the field of law nominated by the Department of Legal Affairs – Member.</p>	Not applicable.

<p>Quasi Judicial Authority; or</p> <p>(B) experience in personnel and administrative matters and interpretation of rules, regulations, instructions issued by the Government from time to time.</p> <p>The departmental Joint Registrar in the Level-13(Rs. 123100-215900) with three years of regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case, he is selected, the post shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.</p>		
---	--	--

[F. No. J-1/3/2021-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.